कोड संख्या पत्रावली संख्या संदर्भ

पंजीकृत-डाक द्वारा

नवीन ओरवला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा) गाजियाबाद (मानिवन-स्वीकृति पत्र)

पत्र सं0 नीएडा/भ0प्री क्रिपीं २०५१ - 1315 / [667 /			दिनांक	2/9/97
सेवा में,	थीक्रती/थी/अंत	Acor ynit	to de attento	

R-5 X)

अके पार्थना पत्र दिनांक 4 0 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित <u>आनामाम</u> भवन निर्माणकी प्लाट सं0 है। सैक्टर प्रा निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति पदान की उती है।

- वह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से देन लाग तक वैध है ।
- मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भुखण्ड से संवधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जायेगा ।
- 3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जावेगा तो वह किसी विना आपित के देय होगा ।
- दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैंड) न हो ।
- विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
- आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
- 8. स्वीकृत मानियत्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानियत्रों के स्पेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा । आंवटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुक्त करेगा अन्यथा स्वीकृत मानियत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा ।
- आवंदी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा ।
- 10. सड़क पर अथवा वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगें। वह कार्य अपनी 🛩 भूमि पर करें।
- 11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नौएडा (१^{०० न} प्रकोष्ठ) विभाग